संख्या– /XXVIII(5)/2025 (E-72013)

प्रेषक,

डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

निदेशक,
चिकित्सा शिक्षा निदेशालय,
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांक मार्च, 2025

विषय– वित्तीय वर्ष 2024–25 में राजकीय मेडिकल कॉलेज, देहरादून की स्थापना के अन्तर्गत ग्लोबल मदान्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग किये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–739/7/चि0शि0/33/2024–25 दिनांक 03 मार्च, 2025 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चिकित्सा शिक्षा विभागान्तर्गत संलग्न प्रपत्र बी0एम0–09 (एक) के विवरणानुसार **₹ 11619.00 (₹ एक करोड़ सोलह लाख उन्नीस हजार मात्र)** की धनराशि उपलब्ध बचतों को पुर्नग्रहीत करते हुए पुनर्विनियोग द्वारा निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैंः–

1. धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है। स्वीकृत धनराशि का आहरण/आवश्यकतानुसार एवं समस्त संगत वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है तथा धनराशि को डिपॉजिट खाते/बचत खाते/डाकघर में नही रखा जायेगा।
2. आहरण–वितरण अधिकारी का दायित्व होगा कि आवश्यकतानुसार आवंटित धनराशि के सम्पूर्ण लेखाशीर्षकों यथा–मुख्य/लघु/उप/विस्तृत शीर्षक (मानक मद) तथा तत्सम्बन्धी अनुदान संख्या शब्द आदि का स्पष्ट उल्लेख बिलों में किया जाय, ताकि महालेखाकार से मिलान में असुविधा न हो।
3. स्वीकृति के संलग्नक के अनुसार आवंटित धनराशि का समय से उपयोग करने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों/सम्बन्धितों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय तथा आवंटित धनराशि के उपयोग आदि सूचना यथा समय शासन को प्रेषित कीजाय।
4. उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्ताव किया गया है उस मद में धनराशि बचत के रूप में उपलब्ध हो। धनराशि उपलब्ध न होने की दशा में पुनर्विनियोग स्वतः निरस्त माना जाएगा।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण/सूची तथा व्यय की जाने वाली धनराशि का जनपद/माहवार विवरण शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा। इसे विभागीय वेबसाईट पर भी अंकित किया जायेगा।
6. आंवटित धनराशि का व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर की स्वीकृति अवश्य प्राप्त की जाय।
7. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules 2017 वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1

(वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–पॉच भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) व वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–193XXVII(1)/2012 दिनांक 30.03.2012 का अनुपालन सुनिश्चितकिया जायेगा।

8. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–201358/09/150/2019/XXVII(1)/2024 दिनांक 22 मार्च, 2024, शासनादेश संख्या– I/67149/2022 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
9. जिन मदों में बी0एम0–09 के अनुसार पुनर्विनियोग किया जा रहा है उन मदों में इस वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग कदापित नहीं की जायेगी तथा धनराशि अवशेष रहने की स्थिति में उसे प्रत्येक दशा में शासन द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार समर्पित कर दिया जायेगा। आवंटित धनराशि के उपभोग की मासिक सूचनाएं बी0एम0–08 पर शासन को प्रेषित की जाय।
10. व्यय में मितव्ययिता के दृष्टिगत वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– I/67149/2022 दिनांक 29 सितम्बर, 2022 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों/ आदेशों/वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 (यथा संशोधित) के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
11. अवमुक्त की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक 31.03.2025 तक कर लिया जायेगा। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र सहित वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण शासन को निर्धारित प्रपत्र पर उपलब्ध कराया जायेगा।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–84/XXVII(1)/2016, दिनांक 26 जुलाई, 2016 में उल्लिखित समस्त शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
13. पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा बजट की मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

2 – इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024–25 के अनुदान संख्या–12 के अधीन संलग्नक (बी0एम0–9) में उल्लिखित लेखाशीर्षक के सम्बन्धित ब्यौरावार शीर्षक/सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–3 की कम्प्यूटर जनित क्रमांक–282070/ 2025 दिनांक 11 मार्च, 2025 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

Signed by
Rajan Rajesh Kumar
Date: 12-03-2025 16:36:33

(डॉ0 आर0 राजेश कुमार),
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
3. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4. गार्ड फाईल।